संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2017/ 4141 भोपाल, दिनांक 22/08/2017

–:: आदेश ::–

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल–05/2017/1932–33 दिनांक 20.06.2017 के द्वारा प्रशासकीय आधार पर डॉ शेख जलालउद्दीन , चि0अ0 एवं डॉ रेशमा पठान, चि0अ0 , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राघौगढ़ जिला गुना का स्थानांतरण सिविल अस्पताल सारंगपुर जिला राजगढ़ किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ रेशमा पठान, एवं डॉ शेख जलालुद्दीन चि0अ0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में याचिका क्रमांक डब्लू0पी0 4145/2017 दायर की गई, याचिका में अवगत कराया गया कि वे राघौगढ़ में अल्ट्रा साउंड/सोनोग्राफी सेन्टर संचालित कर रहे है एवं राघौगढ की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। शासन द्वारा पूर्व में स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राघौगढ़ गुना से प्रा0स्वा0के0 मक़सूदनगढ़ किया गया है जिसे निरस्त करने हेतु अभ्यावेदन प्रेषित किए गए हैं, परंतु निराकरण नहीं हुआ है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2017 में, डॉ रेशमा पठान, एवं डॉ शेख जलालउद्दीन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए।

डॉ रेशमा पठान एवं डॉ शेख जलालउद्दीन, चि0अ0 द्वारा प्रस्तु अभ्यावेदन में राघौगढ़ में सोनोग्राफी सेन्टर संचालित करने के संबंध में अवगत कराते हुए, शासन आदेश द्वारा मक्सूदनगढ किए गए स्थानांतरण को निरस्त किए जाने संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण न होने तथा पारिवारिक कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए, स्थानांतरण निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

शासन द्वारा सोनोग्राफी में प्रायवेट प्रेक्टिस प्रतिबंधित की गई है एवं स्थानांतरण नीति के तहत् उक्त स्थानांतरण सक्षम अनुमति उपरांत हुआ है , अतः विचारोपरांत डॉ रेशमा पठान, चि0अ0 एवं डॉ शेख जलालउद्दीन , चि0अ0 द्वारा स्थानांतरण विरूद्ध अभ्यावेदन एतद् द्वारा अमान्य/अस्वीकार किया जाता है।

उक्त चिकित्सक संचालनालय के आदेश दिनांक 20.06.2017 का पालन सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

22/08/2017
(धनराजू एस.)
संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2017/ 4142 भोपाल, दिनांक 22/08/2017

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।

02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04 मिशन संचालक(एन0एच0एम0),जेल रोड, भोपाल,म0प्र0।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ।
06. उप संचालक(लीगल), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0–आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गुना म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी जिला गुना म0प्र0।
10. संबंधित अधिकारियों की ओर पालनार्थ द्वारा सी0एम0एच0ओ0 गुना,म0प्र0।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
12. आदेश नस्ती।

संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2017/ 4139 भोपाल, दिनांक 22/08/2017

–:: **आदेश** ::–

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल–05/2016/2165 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा प्रशासकीय आधार पर डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय मुरैना से जिला चिकित्सालय सीधी किया गया।

डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 द्वारा स्वयं के जिला चिकित्सालय मुरैना से जिला चिकित्सालय सीधी किए गए स्थानांतरण के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका डब्लू0पी0 45/2017 दायर की गई जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा विभाग को डॉ तौमर के अभ्यावेदन का निराकरण करने तक, जिला चिकित्सालय मुरैन में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।

डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 के स्थानांतरण विरूद्ध अभ्यावेदन पर विचार हेतु डॉ तौमर को आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 08.03.2017 को उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए। डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 के अभ्यावेदन एवं समक्ष सुनवाई उपरांत, संचालनालय के आदेश क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2017/1441 दिनांक 24.04.2017 के द्वारा प्रकरण में डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 को जिला चिकित्सालय सीधी कार्यग्रहण करने एवं स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल होने पर प्रकरण में विचार करने संबंधी आदेश जारी किए गए ।

डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.04.2017 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका 3414/2017 दायर की गई । मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 में विभाग के आदेश दिनांक 24.04.2017 को अपास्त करते हुए, पुनः अभ्यावेदन पर कारण सहित आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए ।

स्थानांतरण आदेश दिनांक 19.12.2016 के समय जिला चिकित्सालय सीधी में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ के 02 पद स्वीकृत एवं रिक्त थे, अन्य कोई ई0एन0टी0 योग्यता के चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है। सीधी आदिवासी/जनजाति बाहूल्य जिला है एवं स्थानांतरण नीति में भी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रथमतः अनुसूचित क्षेत्रों में ही किए जाने का निर्देश है।

अतः डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 का स्थानांतरण विरूद्ध अभ्यावेदन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अमान्य किया जाता है। डॉ तौमर, विभागीय आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

22/08/2017
(धनराजू एस.)
संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2017/ 4140 भोपाल, दिनांक 22/08/2017

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।

02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04 मिशन संचालक(एन0एच0एम0),जेल रोड, भोपाल,म0प्र0।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ।
06. उप संचालक(लीगल), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0–आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना/सीधी म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना/सीधी म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी जिला मुरैना/सीधी म0प्र0।
10. संबंधित अधिकारी डॉ गजेन्द्र सिंह तौमर, चि0अ0 की ओर पालनार्थ द्वारा सी0एम0एच0ओ0 मुरैना,म0प्र0।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
12. आदेश नस्ती।

संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0